राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (पुनः-2) विभाग

क्रमांक : प. 2 (1) सप्ताह 2/2015
जयपुर, दिनांक 23-11-16

--- आदेश ---

झौ नन्दिन्ता जैन, व्यावसाय, उच्च रिश्ता विभाग, राजकीय महाविद्यालय, जयपुर जिल्ला के विद्यालय संख्या 62-ए/2016 है तथा सेवानिवृत्ति दिनांक 30.01.2026 है, को उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिलिन दरान करते हुए "आउट ऑफ टॉर्न" के आधार राजकीय आवास संख्या 11/58, नागीनगर (रिश्ते होने की प्रमाणित में) जयपुर का नियमानुसार किया करने पर निम्न शर्तों के आधार पर एवंद्वारा आवंटन किया जाता है -

शर्त:-

1. आवास का कब्जा आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिनों में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः ज़िक्र समाप्त होगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सरकार संबंधित नियम अनुसार स्थानीय स्थान के किराये के अंतराग काम के दसूली नियम, 1958 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा ली—समय पर जारी आदेशों के अनुसार दसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिखत करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यकुमार होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिखत करना होगा।
5. स्वयं का पता चिन्ह पर निर्मली आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूँकि उक्त अवधि के मुताबिक सरकार के आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(11)ए के अनुसार में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिनों में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालवधि तक आवास आवंटन के लिए पार्श्व नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूजी में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मूल किराया भला यदि उस क्षेत्र में अनुभूत होता तो रोक दिया जायेगा।
7. आवास को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अवधिशीर्ष अभियंता/आवासीय अभियंता को यह घोषणा करनी होगी—

1. आवंटन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटित निर्देश जयपुर में ही पर्याप्त रहें हैं।
2. आवंटन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटित के द्वारा कुछ स्वतंत्र प्रति व उन पर आवंटित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निर्मोजी आवास निम्नलिखित नहीं किया गया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य भर्तियाँ भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आदेश से,

(इंद्र सिंह राव)
संयुक्त स्वास्थ्य सचिव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुननार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सामाजिक आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलकर, जयपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग को उनकी आईडी संख्या 480/एम/जीएडी/16 दिनांक 21.11.2016 के क्रम में।
4. निदेशक, समव्य मिलिया, मिश्र संस्थापत्य, जयपुर।
5. मुख्य अभियंता (भवन), सार्वजनिक निम्नांग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. क्षेत्राधिकारी कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
7. अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निम्नांग विभाग, खड़ग-III, मुख्यालय, जयपुर।
8. अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियंता संस्थान, गाढ़ोनगर, जयपुर।
9. अधिशासी अभियंता, जयपुर विभाग वितरण निगम, लिमिटेड, रामभाग सरकार, गाढ़ोनगर, जयपुर।
10. डॉ नानिदा जैन, व्यापार, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान महाविद्यालय, जयपुर।
11. सर्वश्रेष्ठ विभागाध्यक्ष /आहुति वितरण अधिकारी को मेन्सार लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किसी कार्यालय की कार्यवाही को सुनिश्चित करने सथ ही आवंटी हुआ निर्देशित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की संभावना में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पातली को भी अमल में लाये।
12. निदेशक, उच्चाधिकारी, सार्वजनिक निम्नांग विभाग, जयपुर।
13. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निम्नांग विभाग, बायोग्राफी, गाढ़ोनगर, जयपुर को मेन्सार लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-7 की पातली को सुनिश्चित कर कब्जा दें। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर प्रस्ताव करें।
14. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (युप-3) विभाग जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाइट पर अपडेट करने का अनुरोध करें।
15. निजी सचिव, मुख्य शासन सचिव, सामाजिक।
16. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव